Sixteenth Loksabha

an>

Title: Need to implement Land Acquisition Act, 2013 in letter and spirit in Jharkhand.

श्री विजय कुमार हांसदाक (राजमहल): झारखण्ड सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 में कई ऐसे प्रावधान जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है जो जनजातीय लोगों के अधिकारों का हनन कर रहा है, जिसमें पंचायत की 70 प्रतिशत की सहमति के स्थान पर केवल परामर्श लिये जाने, न्यायालय में जाने की मनाही है एवं सामाजिक मूल्यांकन अध्ययन के द्वारा इस कानून का क्या प्रभाव रहा है, इसका पता नहीं लगाया गया है । ऐसा कानून केवल झारखण्ड में है और किसी राज्य में नहीं है जबकि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 केंद्र सरकार द्वारा लागू है एवं भूमि अधिग्रहण अधिनियम का पालन संविधान की 5वीं अनुसूची के आधार पर होता है । झारखंड के राज्यपाल के माध्यम से इस कानून में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है । झारखंड में पी.पी.ई.एस.ए. कानून को पूरी तरह से लागू नहीं किया जा रहा है । झारखंड में उक्त अधिनियम को मनमाने ढंग से लागू किया गया है । भूमि अधिग्रहण अधिनियम एवं वन अधिनियमों से झारखंड के करोड़ों आदिवासी-मूलवासी का गला घोटने एवं मुट्ठी भर पूंजीपतियों को और धनवान बनाने का रास्ता बनाने के लिए लाया गया है जिसके कारण झारखंड राज्य के आदिवासी-मूलवासी काफी आक्रोशित एवं सशंकित हैं । अनेकों योजनाओं के नाम पर आदिवासी-मूलवासियों की जमीन को अधिग्रहित कर उन्हें भूमिहीन किया जा रहा है, जिससे आदिवासी-मूलवासी विनाश की ओर जा रहे हैं । कई योजनाओं के क्रियान्वयन से उन्हें बड़े पैमाने पर विस्थापित कर उन्हें रोजगार विहीन किया जा रहा है । झारखंड सरकार की नीति से लगता है कि पूरी तरह से आदिवासियों को तबाह करने के लिए बनाई जा रही है एवं झारखंड सरकार का उद्देश्य केंद्र सरकार के भूमि अधिग्रहण अधिनियम को अप्रभावी करना है ।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि भूमि अधिग्रहीत अधिनियम के मूल प्रावधानों के साथ किसी प्रकार की छेड़-छाड़ न होने दे जिससे देश के आदिवासी-मूलवासी अपना आर्थिक एवं सामाजिक विकास निःसंकोच ढंग से कर सके ।